PSG

आज्ञानुसार रिमार्क्स 14/7/2019

APP-A

Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भागीरथ पुत्र लक्ष्मी जाति ..., नि. ग्राम पिन्चौलिया, तहसील पीसांगन (अजमेर) बनाम लक्ष्मण पुत्र लक्ष्मी हरनाथ जाति, नि. ग्राम पिन्चौलिया, तहसील पीसांगन (अजमेर) व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्त. अधि. नम्बर 238/2019 सन् 2019 (पीसांगन)

(ग्राम पिन्चौलिया)

2019/00238

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मृणाल शर्मा, एड. अपी. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
12/7/19	यह अपील श्री मृणाल शर्मा एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2019, प्रकरण संख्या 07/2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर किया जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा हासा, हरनाथ, लादू पुत्रगण कालू प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हैं जिसमें से हासा पुत्र कालू नाऔलाद अविवाहित मर जाने से उसका 1/3 हिस्सा भी उक्त दोनो भाई हरनाथ व लादू में निहित हो गया। जिनके वारिसान उपरोक्त पक्षकारान है जिनके नाम राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया जिसकी दुरूस्ती व हक घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है तथा साथ ही प्रार्थना पत्र के कथनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण बेचान नहीं करे एवं उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 18.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 01से04 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा उसी दिनांक को प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई और दिनांक 16.09.2016 को रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 04, 05 को सगे भाई होने के कारण उनके हक–अधिकार निहित होने से उन्हे तरतीबी के स्थान पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के साथ 04, 05 के रूप में जोडे जाने के आदेश प्रदान कर दिये और दिनांक 29.05.2019 को अपीलांट की ओर से एक आवेदन आदेश 09 नियम 07 जा.दी. का पेश हुआ, जिसे स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर दिया तथा संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिये गये तथा दिनांक 12.06.2019 को अपीलांट के अधिवक्ता को उनके अस्वस्थ्य होने के कारण जवाब प्रस्तुत करने का मौका 500/– रूपये कोस्ट पर दिया गया तथा अगली पेशी दिनांक 19.06.2019 को जवाब बंद कर बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।........	निरन्तर.....

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O

पीसांगन

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

238 /2019/225 जगदीश वगैरह V/S लक्ष्मण व अन्य

तारीख पेशी	2019/00238 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मृणाल शर्मा, एड० अपी० श्री	

निरन्तर.....

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांटस एवं उनके अभिभाषक को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 12.06.2019 को पहला मौका 500/— रूपये कोस्ट पर अंतिम मौके के रूप से देते हुए पारित कर केवल मात्र सात दिन का समय प्रदान किया गया जबकि अपीलांटस के अधिवक्ता गंभीर रूप से अस्वस्थ्य एवं गहन चिकित्सा में रहे जिसकी समुचित जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को थी क्योंकि उनके समक्ष अपीलांटस के अधिवक्ता ने चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था उसके उपरान्त भी केवल मात्र 07 दिवस का समय देकर जवाब बंद कर बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि के बाध्यकारी प्रावधानों को ध्यान में रखकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व अभिलेख (जमाबंदियों), वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की वर्तमान स्थिति को देखे बिना आदेश पारित किये है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविध का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अपीलांटस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2019 की पालना ताफैसला अपील स्थगित की जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान किये जावें या अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2019 को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य व सुनवाई किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें तब तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट के अभिभाषक के द्वारा दिनांक 12.06.2019 को चिकित्सक द्वारा उपचार का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद भी केवल 07 दिवस का समय जो भी 500/— रूपये कोस्ट पर दिया गया और दिनांक 19.06.2019 को अभिभाषक ने उनके उपचार का हवाला देते हुए जवाब हेतु समय चाहे जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण/अपीलांट का जवाब बंद कर दिया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब बंद करते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के बाध्यकारी प्रावधानों व न्याय नियमों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतो तथा मान्नीय उच्चतर न्यायालयों में प्रतिपादित प्रावधानों के विपरीत है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण/अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 19.06.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2019 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनो पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

निरन्तर.....2

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रीलागांन

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

238 /2019/225 जगदीश आदि v/s लक्ष्मण व अन्य

तारीख पेशी	2019/00238 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मृणाल शर्मा, एड० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
निरन्तर ----	धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 12/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	